



उत्तर प्रदेश वन निगम

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

अरण्य विकास भवन, 21/475, इन्दिरा नगर, लखनऊ 226016

पत्रांक ते०प०-3715 / वर्ष 2026 ते०प० अग्रिम बिक्री /

दिनांक 11, सितम्बर 2026

सेवा में,

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,
उ०प्र० वन निगम
दुद्धी, वाराणसी एवं झोंसी।

विषय:- वर्ष 2026 में अग्रिम बिक्री की गयी तेन्दूपत्ता लाटों की जमानत धनराशि जमा करने हेतु अतिरिक्त समयवृद्धि के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक ते०प०-3571 / वर्ष 2026 ते०प० अग्रिम बिक्री, दिनांक 07.09.2026

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से वर्ष 2026 में तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री प्रक्रिया की शर्त संख्या-13 के आलोक में अग्रिम बिक्री की गयी तेन्दूपत्ता लाटों में वास्तविक उत्पादन के अनुसार वांछित 10% जमानत धनराशि बैंक एफ०डी०आर०, बैंक गारन्टी के रूप में अथवा ऑन लाइन गेटवे के माध्यम जमा किये जाने हेतु दिनांक 11.09.2026 तक की अनुमति प्रदान की गयी थी किन्तु दिनांक 11.09.2026 को सभी बैंको की देशव्यापी हड़ताल, दिनांक 12.09.2026 को द्वितीय शनिवार एवं दिनांक 13.09.2026 रविवारीय अवकाश होने के कारण प्रश्नगत कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु क्रेताओं द्वारा एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2026 में अग्रिम बिक्री प्रक्रिया के तहत क्रय की गयी लाटों की वास्तविक उत्पादन के अनुसार शेष 10% जमानत धनराशि जमा कराये जाने हेतु दिनांक 16.09.2026 तक की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(सुजॉय बैनर्जी)

महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता)

11/9/26

पत्रांक ते०प०-3715 / तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम, प्रयागराज/लखनऊ क्षेत्र।
2. प्रभारी (कम्प्यूटर अनुभाग), उ०प्र० वन निगम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि प्रकरण में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुजॉय बैनर्जी)

महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता)

11/9/26